

न्यायालय उप जिला अधिकारी/सहा. कलेक्टर प्रथमश्रेणी मिल्कीपुर, पैजाबाद ।

मां बैजणो देवी--बनाम--सरकार  
धारा-143 ज. वि. अधिनियम  
ग्राम-कोटिया, परगना-छण्डासा  
तहसील-मिल्कीपुर, पैजाबाद ।  
वाद संख्या-19  
ता. पैसला-29. 1. 2013

परवाना अमलदरामद

चकबन्दी अधिकारी  
कुमारगंज, पैजाबाद ।

उपरोक्त वाद में आदेश दिया जाता है, कि ग्राम-कोटिया, परगना-छण्डासा, तहसील-मिल्कीपुर, पैजाबाद की गाटा संख्या-2116क मि. /0. 253हे. जो मां बैजणो देवी नक़्सेद तिवारी इंस्टीट्यूट आफ. रेजुकेशनल स्पड मैनेजमेण्ट कोटिया प्रबन्धक शैलेख तिवारी. पुत्र नक़्सेद तिवारी के नाम अंकित है, को धारा-143 ज. वि. अधिनियम के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है । बाद अमलदरामद परवान की एक प्रति इस न्यायालय को वापस भेजी जाय ।

दिनांक:

3689  
30.1.13

उप जिला अधिकारी/सहा. कलेक्टर  
प्रथमश्रेणी मिल्कीपुर, पैजाबाद ।

